

## राज्य मंत्रपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदरि नीति 2022 का अनुमोदन कयिा

### चर्चा में क्यौं?

18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शविराज सहि चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदरि नीति 2022 को अनुमोदन दे दयिा है। इससे गैर-कानूनी एवं अमानक शराब नरिमाण, परविहन, भंडारण और वकिरय पर प्रभावी नरिंत्रण हो सकेगा।

### प्रमुख बदि

- नई आबकारी व्यवस्था के तहत नमिनलखिति उपबंध कयिे गए हैं-
  - मदरि की फुटकर वकिरय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिके स्तर पर लाया जा सकेगा।
  - सभी ज़िलों की देशी/वदिशी मदरि दुकानों का नरिषिपादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप कयिा जा सकेगा।
  - समस्त मदरि दुकानें कंपोजिटि शॉप होंगी, जसिसे अवैध मदरि वकिरय की स्थितियिं नही बनेंगी।
  - कलेक्टर एवं ज़िलों के वधियकगण की उच्चस्तरीय ज़िला समिति को उनके ज़िले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदरि दुकानों के अनुरूप भौगोलिके दृष्टि से स्थान परविरतन का अधिकार होगा।
  - प्रदेश के कसिनों द्वारा उत्पादति अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर ड्यूटी नही होगी।
  - देशी मदरि प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य ज़िलेवार नविदिा बुलाई जा सकेगी। इस साल टेद्रा पैकगि की दर भी बुलाई जा सकेगी।
  - राजस्व की कषति रोकने के लयिे ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदरि का ट्रैक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनगि, वैधता का परीक्षण आसान होगा।
- हेरिटिज मदरि नीतिके तहत नमिनलखिति उपबंध कयिे गए हैं-
  - महुआ फूल से बनी मदरि की पायलट परयोजना की अनुमति दी गई है। इसके बाद इसे मंत्रमिंडल की उप समतिके सामने प्रस्तुत कयिा जाएगा।
  - वर्ष 2022-23 में नए बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा नरिधारति मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी।
  - पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरजिम बोर्ड द्वारा संचालति इकाइयों, पर्यटन वकिस नगिम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रयियती दरों, सरल प्रक्रयिाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दयिे जा सकेंगे।
  - सभी एयरपोर्ट पर वदिशी मदरि वकिरय काउंटर खोला जा सकेगा।
  - इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनति सुपर मार्केट में फकिंस लाइसेंस फीस पर वाइन वकिरय के काउंटर संचालति करने के लयिे लाइसेंस जारी कयिे जा सकेंगे।
  - इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरेज खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकनि पर्यावरण, वदियुत वभिगों और नगर नगिम का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।
  - मदरि आयात की प्रक्रयिा को सरल बनाया जा सकेगा।
  - होम बार लाइसेंस दयिे जा सकेगा, जसिके लयिे 50 हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। इसकी पात्रता उन्ही को होगी, जनिकी सकल व्यक्तगित आय न्यूनतम एक करोड़ रुपए हो।